न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :92/2016/भीलवाड़ा (2016/00097)

1. नरोतमलाल पुत्र मुरलीधर केडिया, निवासी बापूनगर, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती उमा देवी पत्नि कैलाश चन्द्र केडिया, निवासी त्रिलोक मार्ग, गांधी नगर, भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 13.7.2016 अंतर्गत अपील संख्याः–61/2016.

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री खड़गसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री सुवालाल गुंजल, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांक :– 9.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भीलवाड़ा में आराजी खसरा संख्या 2708 रकबा 1 बीघा भूमि केडिया टाईल्स उद्योग केडिया भवन, गांधी नगर, भीलवाड़ा पार्टनर श्रीमती गिनिया देवी पत्नि मुरलीधर, नरोत्तम लाल पुत्र मुरलीधर एवं श्रीमती उमा देवी पत्नि कैलाशचन्द्र केडिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी, गिनिया देवी का देहांत हो जाने पर उसका हिस्सा जरिये नामांतकरण संख्या 2844 के द्वारा केडिया टाईल्स उद्योग जरिये पार्टनर नरोत्तमलाल व श्रीमती उमा देवी के नाम दर्ज कर दिया गया । उक्त नामांतकरण की अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रस्तुत

कर वसीयत के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया जाने पर अपीलांट की फर्जी तामील करवाते हुए एवं अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामांतकरण संख्या 3235 दिनांक 30.10.2009 पारित कर दिया गया । नामांतकरण संख्या 3235 दिनांक 30.10.2009 के विरूद्ध विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की तथा साथ ही धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी, न ही अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस दिया गया व ना ही तामील करवाई गई एवं बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये उक्त आदेश पारित कर दिया । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को बिना रिकार्ड मंगवाये मियाद के बिन्दू पर दिनांक 13.7.2016 को खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज किया कि पूर्व नामांतकरण संख्या 2844 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलांट को नोटिस व्यक्तिगत तामील नहीं हुआ, नोटिस ऐसे पते पर तामील करवाया गया जिस पते पर अपीलांट रहता ही नहीं है तथा इस कारण तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 4/2009 में भी गलत पते पर नोटिस रेस्पो0 संख्या 1 के पति ने प्रेषित करवाया तथा फर्जी हस्ताक्षर द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र आदि प्रस्तुत किये, जो अपीलांट की जानकारी में नहीं है । अपीलांट द्वारा इस संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 व उसके पति के विरूद्ध अपराधिक कृत्य बाबत् फौजदारी प्रकरण पृथक से दर्ज करवाया गया है । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा को इन परिस्थितियों में अपीलांट की अपील को प्रस्तुतिकरण के दौरान ही मियाद बिन्दू पर खारिज करना पूर्णतया विधि विरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने के उपरांत गुणावगुण पर प्रकरण पर दृष्टिपात किये बिना ही सरसरी तौर पर खारिज करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर तथा ऐसा दस्तावेज जो विधिपूर्ण रूप से निष्पादित ही नहीं हुआ है तथा न ही साबित हुआ है, उसके आधार पर नामांतकरण बाबत् जो आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है वह पूर्णतया उनके द्वारा अपने में निहित शक्तियों का विधि विरूद्ध प्रयोग कर पारित किया गया है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निस्तारित करना चाहिये था, परन्तु अधी0न्याया0 ने जो आदेश पारित किया है वह अपास्त

किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 131 (2) के अनुसार वसीयत की वैधानिकता का परीक्षण करना अनिवार्य है तथा नियम 132 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि पटवारी दान, बैचान, वसीयत और रहन के प्रकरणों में दस्तावेज पंजीकृत होने या नहीं होने की जांच करेगा तथा यदि दस्तावेज प्रजीकृत नहीं है तो नामांतकरण स्वीकार नहीं किया जावेगा । विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जहां वसीयत को लेकर विवाद हो वहां वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही वसीयत के आधार पर करने के बजाय विरासत के आधार पर करनी चाहिये । तहसीलदार ने उपरोक्त प्रावधानों को नजरअदांज कर आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलांट की अपील मात्र तकनीकी आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 13.7.2016 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.8.2009 को अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2003 (1)पेज 650, उच्च न्यायालय पेज 805 एवं 373 के न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि ग्राम भीलवाडा की आराजी खसरा नंबर 2708 रकबा एक बीघा भूमि मैसर्स केडिया टाईल्स उद्योग रजिस्टर्ड भागीदार फर्म के नाम से स्थित है जिसके भागीदार क्रमशः श्रीमती गिनिया देवी केडिया, नरोत्तम लाल केडिया एवं श्रीमती उमादेवी केडिया थे । श्रीमती गिनिया देवी केडिया ने दिनांक 5.5. 1989 को अंतिम इच्छापत्र के जरिये उनकी भागीदारी हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 उमा देवी केडिया के पक्ष में निष्पादित किया था । तहसीलदार के समक्ष अपीलांट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती गिनिया देवी केडिया की मृत्यु होने से उसका 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती उमादेवी के कर दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया था। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 53/2016 पेश किया गया था जो वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 20.10. 2016 को डिक्री किया गया है जिसमें वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी में 2/3 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया है । अपीलांट ने उक्त वाद के निर्णय के तथ्य को भी छिपाया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि वसीयत को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक नहीं है । अपीलांट ने वसीयत को फर्जी होने के संबंध में पुलिस थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई थी जिसकी जांच में वसीयत के गवाहों ने श्रीमती गिनिया देवी द्वारा वसीयत किये जाने की पुष्टि किये जाने पर पुलिस ने एफ0आई0आर0 में एफ0आर0 लगाई है । अपीलांट ने तहसीलदार, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक

28.8.2009 के विरूद्ध सन् 2016 में अपील प्रस्तुत की जो भारी मियाद बाहर पेश की गई थी तथा अपीलांट ने विलंब के समुचित कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये जाने से विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने मियाद बिन्दू पर विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत अपीलांट की अपील खारिज की है, जो उचित है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 पेज 235, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 432, आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 1092 एवं आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 1024एवं आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1081 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम भीलवाड़ा के खसरा संख्या 2708 रकबा 1 बीघा भूमि केडिया टाईल्स उद्योग केडिया भवन, गांधी नगर, भीलवाड़ा पार्टनर श्रीमती गिनिया देवी पत्नि मुरलीधर, नरोत्तम लाल पुत्र मुरलीधर एवं श्रीमती उमा देवी पत्नि कैलाशचन्द्र केडिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी । मृतक खातेदार श्रीमती गिनिया देवी का देहांत दिनांक 17.5.1989 को होने के उपरांत विवादित भूमि का नामांतकरण संख्या 2844 दिनांक 28.8.2003 को केडिया टाइल्स उद्योग केडिया भवन गांधी नगर, भीलवाड़ा पार्टनर नरोतम लाल पिता मुरलीधर एवं श्रीमती उमा देवी पत्नि कैलाशचन्द केडिया के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतकरण में गिनिया देवी द्वारा अपने हिस्से की वसीयत श्रीमती उमा देवी पत्नि कैलाशचन्द के पक्ष में किये जाने का उल्लेख भी पटवारी हल्का भीलवाड़ा द्वारा किया गया है । तथाकथित नामांतकरण संख्या 2844 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 उमादेवी द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील संख्या 86/2008 प्रस्तुत की गई । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने रेस्पो0 संख्या 1 की अपील निर्णय दिनांक 26.2.2009 द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 2844 निर्णय दिनांक 28.8.2003 स्वीकार करते हुए अधी0न्याया0 द्वारा निर्णित उक्त नामांतकरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में वसीयत के सबंध में पक्षकारान की सुनवाई कर साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे निर्णय पारित करे । तत्पश्चात् जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 26.2.2009 में नामांतकरण संख्या 8844 के स्थान 2844 का संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय की पालना में नामांतकरण संख्या 2844 को दिनांक 19.5.2009 को अपास्त किये जाने का नोट नामांतकरण पर अंकित किया जा चुका है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 8.8. 2003 द्वारा गिनियादेवी के द्वारा उमादेवी के पक्ष में वसीयत किये जाने के

फलस्वरूप गिनियादेवी के स्थान पर श्रीमती उमादेवी का नाम खाते में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की थी किन्तु उक्त आदेश के बावजूद नामांतकरण वसीयत के आधार पर तस्दीक नहीं कर विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया था । न्यायायलय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से उक्त प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, भीलवाडा ने निर्णय दिनांक 28.8.2009 को पारित कर विवादित भूमि मैसर्स केडिया टाईल्स उद्योग, केडिया भवन, गांधीनगर, भीलवाडा भागीदार–1 श्रीमती उमा देवी केडिया पत्नि कैलाश चन्द्र केडिया हिद्ध 2/3 व पार्टनर–2 नरोत्तमल लाल केडिया पुत्र मुरलीधर केडिया हिस्सा 1/3 दर्ज करने के आदेश पारित किये । तहसीलदार, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 28.8.2009 एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, भीलवाड़ा के यहां प्रकरण दर्ज होने पर अपीलांट नरोत्तम लाल को जारी नोटिस में आसामी के पते में केवल भीलवाड़ा लिखा हुआ है तथा उक्त नोटिस की पुस्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा बाद तामील की रिपोर्ट अंकित है । भीलवाड़ा बड़ा शहर है तथा नोटिस पर अपीलांट का पूर्ण पता अंकित नही होने के बावजूद तामील कुनिन्दा ने अपीलांट को किस प्रकार नोटिस की तामील कराई यह आश्चर्यजनक तथ्य है । तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस पर अंकित तामीली रिपोर्ट संदेहास्पद होने के बावजूद तहसीलदार ने अपीलांट की तामील मानकर प्रकरण को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में श्रीमती गिनियादेवी द्वारा की गई वसीयत को सही मानकर आदेश पारित किया है जबकि विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने प्रकरण प्रतिप्रेषित कर तहसीलदार को यह निर्देश दिये थे कि पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को निर्णित करे । तहसीलदार के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयतनामे को प्रमाणित कराये जाने हेतु वसीयत के गवाहों के बयान करवाये गये अथवा नहीं इसका उल्लेख निर्णय में नहीं है । तहसीलदार को वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध हुए बिना वसीयत के आधार पर नामांतकरण के आदेश पारित नहीं करने चाहिये थे । अपील के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि के संबंध में निर्णित राजस्व वाद संख्या 53/2016 उनवानी उमादेवी बनाम नरोतम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2016 की फोटो प्रति पेश की तथा इस संबंध में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दायर वाद उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 26.10.2016 को वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया जाकर डिक्री किया गया है जिसमें वादिया वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में 2/3 हिस्से एवं अपीलांट के पक्ष में 1/3 हिस्से अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित की गई है । इसके विपरीत अपीलांट ने फर्द के साथ उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2016 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत अपील मीमो एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2016 के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील संख्या 71/2017 प्रस्तुत की गई है जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा पुलिस थाना, प्रताप नगर, भीलवाडा द्वारा एफ0आई0आर0 संख्या 437/16 में लगाई गई एफ0आर0 के विरूद्ध भी अपीलांट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा के न्यायालय में प्रकरण अंतर्गत धारा 156 (3) सी0आर0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है । हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मान0 उच्च न्यायालय, राजस्थान पृष्ठ संख्या 805 का ससम्मान अवलोकन किया । उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :– '' Scope of Rules 131 and 132 of the Rajasthan Land Revenues (Land Records) Rules, 1957" According to Rule competent authority was required to ascertain whether the deed by which adoption was made was registered or not. The attesting officer is also required to satisfy that the particulars regarding registered deed as given in the Patwari"s mutiation report are correct. But is on the merits of the case ." उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, भीलवाड़ा के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पातिद अपंजीकृत वसीयत की प्रमाणिकता को सुनिश्चित किये बिना वसीयत के आधार पर नामांतकरण पारित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । प्रकरण में जहां तक विद्वान जिला कलम्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने का प्रश्न है, अपीलांट अभिभाषक का कथन रहा है कि ऐसे मामलों में पक्षकारान के हित निहित होने पर प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये । उपरोक्त विवेचन के क्रम में विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2016 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.8.2009 को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7. 2016 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.8.2009 अपास्त योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 92/20016 (2016/00097) बउनवान नरोत्तमलाल बनाम श्रीमती उमा देवी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 61/2016 बउनवान नरोत्तमलाल बनाम

श्रीमती उमादेवी में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2016 एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2009 बउनवान श्रीमती उमादेवी बनाम नरोत्तमलाल केडिया में पारित निर्णय दिनांक 28.8.2009 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपंजीकृत वसीयत की प्रमाणिकता के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को नये सिरे से निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर